

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/171/2025

दायर दिनांक:-26.11.2025

रजि0 न0 2025/401

अपीलार्थी:-

श्री संतोष शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा, नि.
ग्राम व पोस्ट-हरसाना, तहसील लक्ष्मणगढ
जिला अलवर (राज०) 321607

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त
जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर
(राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 09.12.2025

1. अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 15.10.2025 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन किया गया है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.12.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक लो०स०अ०/प्रथम अपील/2025/2143 दिनांक 04.12.2025 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 15.10.2025 को राज सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293150939386287 दिनांक 17.10.2025 दर्ज रजिस्टर कर, आवेदन में वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी से संबंधित नहीं होने के कारण, RTI Online Portal पत्र सं. 3282805870 दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से मूल आवेदन, अधीक्षण अभियंता, जे०वी०वी०एन०एल० (O&M), अलवर को अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है जिसकी सूचना अपीलार्थी को ऑनलाईन मय पंजीकृत-पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र सं. लो०स०अ०/प्रथम अपील/2025/2143 दिनांक 04.12.2025 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी के पत्रांक 3282805870 दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 09.12.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर